संख्या-25/2022/507/26-3-2022

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 मार्च 2022

विषय:-**वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3374/स0क0/शिक्षा-अ/6/1338/2021-22, दिनांक-10.03.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-03-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्वदशम (कक्षा-01 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति-00-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन में धनराशि रू0-562.58 लाख (रू0-पांच करोड़ बासठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र) को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना) के मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-03-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्वदशम (कक्षा-01 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति-00-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

पृ0संख्या-25/2022/507/26-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80 आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग (सामान्य) के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्वदशम (कक्षा–01 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग)

वित्तीय वर्ष 2021–22

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	वित्त विभाग द्वारा [illegible]
	2	3	4	[illegible]
2225 [illegible] 277 [illegible] 07 [illegible] 00				
[illegible]	21961.36	4000.00	562.58	562.58
योग –	21961.36	4000.00	562.58	562.58

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

[illegible]	[illegible]	[illegible]	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि
7	8	9	10	11
2235 [illegible] 02 [illegible] 200 [illegible] 03 आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग (सामान्य) के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्वदशम (कक्षा 01 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति 00				
[illegible]	2500.00	3062.58	562.58	562.58
योग–	2500.00	3062.58	562.58	562.58

(1) स्तम्भ–3 मे उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–स्तम्भ–1 मे उल्लिखित लेखाशीर्षको मे बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2)–स्तम्भ–8 मे उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 मे अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है–योजना/अधिष्ठान के कियान्वयन किये जाने के कारण।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग मे उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 मे निर्दिष्ट प्रतिबन्धो/परिसीमाओं का उल्लघन नही होता है।

संख्या–आर0डी0 620 /[illegible] दिनांक 28 मार्च 2022

सेवा मे,
महालेखाकार (लेखा एव हकदारी प्रथम)
उ0प्र0 प्रयागराज।

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 26-03-2022 12:35:00
Reason: Approved

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 25 [illegible] 2022 [illegible] 2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. [illegible] निदेशक, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव

File No.26-3099/14/2022- -3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in